# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.**

**(1) अपील संख्या 137 / 2016**

तारो बाई पत्नी सतनामसिंह जाति रायसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—— **अपीलार्थी**

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख द्वारा मुखत्यारे खास राजवन्तसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी 2 जेएसएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
2. पंकज पुत्र रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——**रेस्पोडेन्ट्स**

**(2) अपील संख्या 163 / 2016**

पंकज पुत्र रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 23 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यारे आम राजवन्तसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी 2 जेएसएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेवसिंह पुत्र जगीरसिंह जटसिख निवासी 23 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. गुरजण्टसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 23एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । ——रेस्पोडेन्टान

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीगंगानगर

दिनांक 15.07.2016

**उपस्थितिः–**

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

**निर्णय** **दिनांक :– 12.01.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के दादा नारायणसिंह को भारत पाक विभाजन के पश्चात पुनर्वास विभाग द्वारा क्लेम में चक 1 एल.एम में 25.09 वि.ए वि., चक 24 एम.एल मे 114.05 वि. चक 23 एम एल में 6 बीघा, चक 1 एफ में 00.10 बीघा तथा चक 500 एलएनपी में 1.04 बीघा, चक 1 जे बड़ा में 2316 वि. बारानी भूति आवंटन की गई थी, जिसकी खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 का नाम –पिता का वादी के दादा के नाम से मिलता जुलता होने से कर्मचारियो की मिलीभगत से दादा की जाति जटसिख सेस रायसिख दर्ज करवा ली जिस दुरस्त करवा लिया गया । अप्रार्थी संख्या 1 ने मूल दुरस्ती प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2006 के स्वीकृत करने के उपरांत विवादित आराजी में से अप्रार्थी संख्या 2 को बैयनामा दि. 12.07.2007 को मु.न. 34 की 18 बीघा मुन्तकिल कर दी। जबकि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का आगे हस्तान्तरण कर दिया या प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो प्रार्थी को नो पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा जारी की जावे कि वे

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे एवं रहन बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करे।

अप्रार्थी सं. 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि जरिये बैयनामा क्रय की है एवं कब्जा अप्रार्थी का चला आ रहा है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 15.07.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थति रखने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध उक्त दोनों अपीले पेश की गई है। चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी ने जरिये बैयनामा क्रय की है एवं कब्जा काश्त अपीलार्थी का चला आ रहा है। प्रार्थी/रेस्पो. का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अधी.न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी/रेस्पों. का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के दादा की जाति बदलवाकर विवादित भूमि का बैयनामा करवा लिया जो प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है। अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। जिसमें कोई भूल नहीं हुई है। अतः अपीलें खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील संख्या 163/2016 पंकज बनाम महेन्द्रसिंह व अपील संख्या 137/2016 अधी.न्यायालय के एक ही आदेश प्रकरण संख्या 257/2013

12/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

महेन्द्रसिंह बनाम नारायणसिंह निर्णय दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें रेस्पो. महेन्द्रसिंह के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी गई है जबकि अपीलांट सद्भावी क्रेता है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण नारायणसिंह पुत्र पंजाबसिंह जाति जटसिख एवं नारायणसिंह पुत्र पंजाब सिंह जाति रायसिख से सम्बन्धित होकर दोनों ही व्यक्ति अलग–अलग होकर दोनों के वारिसान के litigation विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है, अधी.न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधानों के विवेचन में रेस्पों. महेन्द्रसिंह के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति विवेचित कर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति यथावत रखने के आदेश दिये हैं, मौके की स्थिति स्पष्ट करने हेतु अभिभाषक रेस्पो. द्वारा फार्म नं. 3 के साथ तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/रा.ज.सु.अ.12/2013/4179 दिनांक 10.10.2013 पेश की जिसका सन्दर्भ हिस्सा अंकित किया है कि चक 1 जे बडा के मु.नं. 31, 34, 36 में कुल 5.690 है0 बारानी रकबा पर नारायणसिंह पुत्र पंजाबसिंह कौम जटसिख सा0 23 एमएल के वारिसान का कब्जा काश्त है इससे पूर्व दिनांक 05.06.2013 को उपतहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा भी कब्जा सम्बन्धी जांच की गई थी। उस जांच में पटवारी खाटलबाना व भू.अभिलेख निरीक्षक शिवपुर मौका पर साथ थे। उस समय भी पंकज पुत्र रामचन्द अरोड़ा का कब्जा नहीं था। श्री नारायणसिंह के वारिसान द्वारा काश्त करवाई जा रही है तथा रेकार्ड की स्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत जमाबंदी में विवादित आराजी नारायणसिंह वल्द पंजाबसिंह कौम रायसिख सा.देह पु.आ. गैरखातेदार दर्ज है। रेकार्ड में परिर्वतन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिक आदेश से ही संभव है तथा मौके पर परिवर्तन भी निर्धारित प्रकिया यथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 की प्रकिया से संभव है। दोनों ही क्षेत्राधिकारों को मध्य रखते हुए अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुजाईश नहीं होने से दोनों अपीले

12/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

163/20016 पंकज बनाम महेन्द्रसिंह व 137/2016 तारोबाई बनाम महेन्द्रसिंह खारिज की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर